कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः 1338 /14–1 दिनांक, एटा, जनवरी 9 ,2018

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड
400 / 220के0 वी0 सवस्टेशन,
12 कि0मी0 माइल स्टोन,मैनपुरी।

विषय **(प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/26448/2017) 765 के0वी0डी0सी0 उरई अलीगढ़ पारेसण लाइन निर्माण में प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि तथा 04 वृक्षों के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव।**

सन्दर्भ **इस कार्यालय का पत्रांक 866 / 14–1 दिनांक 27.10.2017**

उक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र द्वारा मुख्य रुप से 2 कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में बिन्दु सं0 1 में अंकित टोपोशीट की अलग–अलग प्रतियॉ दिनांक 09.01.2018 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नही की। शीघ्र उपलब्ध करायें ।

प्रस्ताव से सम्बन्धित ट्रान्समिशन लाइन का पार्ट III का दिनांक 02.01.2018 को श्री जीवन लाल मैनेजर (पी0ई0एस0एम0) नोडल अधिकारी पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया के स्टाफ व प्रभागीय कार्यालय से ड्राफ्टमैन शाखा प्रभारी श्री सुधेश भारती उपक्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एटा जनपद में 765 के0वी0सी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन पार्ट III के समस्त निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित संरक्षित वन भूमि की गणना मार्ग व नहर पर त्रुटिपूर्ण की गई। जिसे संशोधित करें।

निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि आपके विभाग द्वारा भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही पारेषण लाइन निकाल ली गयी है। जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।

पत्रांक /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन 17, राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी,एटा।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।